भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1918
11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में वृद्धि

1918. श्री विजय बघेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का वर्तमान वार्षिक आवंटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विशेषकर उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और जिनमें 8-9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी रहती है, के व्यापक विकास के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या निधि की कमी प्रायः आम जनता को विभिन्न महत्वपूर्ण और आवश्यक विकासात्मक कार्यों से वंचित कर देती है;

(ग) क्या एमपीलैड निधि के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार का एमपीलैड्स के अंतर्गत निधि के वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर विचार किए बिना, प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये पाने के हकदार हैं।

(ख) से (घ) एमपीलैड योजना का उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य को स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत अनुमत कार्यों में सार्वजनिक सुविधाओं, सुरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कई विकासात्मक कार्यकलाप मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विशेष योजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं। एमपीलैड्स का उद्देश्य इन योजनाओं का विकल्प बनना या उनकी नकल करना नहीं है; अपितु, इसे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और आवश्यक स्थानीय अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता प्रदान करके उनका पूरक बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मंत्रालय निधि आवंटन में संशोधन के प्रस्तावों सहित विभिन्न हितधारकों से नियमित रूप से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी जांच करता है। वर्तमान में, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वार्षिक आवंटन को मौजूदा 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****